Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 11/July/2024 IJRAW: 2024; 3(8):293-295 Accepted: 18/August/2024

महिला उत्थान और संवैधानिक उपचार

*[1]डॉ. विनिता गौतम

*[1]सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, लक्ष्मण प्रसाद वैद्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा छत्तीसगढ़, भारत।

सारांश

आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी महिलायें अपने को प्राप्त कानूनी अधिकार से अनजान है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानून एवं अधिनियम की विवेचना से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के उत्थान हेतु अनेक कानून बनाये गये है, परन्तु शिक्षा के अभाव में कानून की सही जानकारी उनको नहीं मिल पाती कि उनको संविधान के तहत कौन–कौन से अधिकार प्राप्त है, प्राचीन युग में वर्तमान युग तक नारी की संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। हजारों वर्षों से पराधीनता में एकमात्र नारी ही रही है।

वर्तमान शताब्दी में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में असाधारण वृध्दि हुई है जिसका स्पष्ट प्रभाव समाज पर दीखता है, समाज और अपराध एक दुसरे के पुरक है क्योकि अपराध की उत्पत्ति समाज से ही होता है और उसका उपचार भी समाज द्वारा बनाए गये नियमों से ही होता है, आदिकाल में अपराधीक घटनाएं कम होते थे, परन्तु वर्तमान में महिलाओं के प्रति अपराध में बढोतरी हुई है इसका कारण संसाधन एवं आवाश्यकताओं की पूर्ती है, भारतीय संविधान में महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गये है।

मुख्य शब्दः परिवर्तन, अधिकार, अनुच्छेद, कार्यस्थल, ऐतिहासिक, अत्याचार, रूढीवादी, शोषण, संविधान, सम्मेलन, बढोतरी, मानसिक।

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास के साथ–ही–साथ महिलाओं के अधिकार में कमी होती आई है समय परिवर्तन के ही साथ महिलाओं के प्रति अत्याचारों में भी वृध्दि हुई है। भारतीय संविधान में मानव अधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान मौलिक अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत महिलाओं के प्रति समान विवेचना किया गया है, परन्तु पुरूषों के महिलाओं के प्रति निम्न सोंच के कारण महिलाओं के प्रति निम्न अपराध एवं अत्याचार में बढोतरी हुई है, महिलाओं के पति के द्वारा, शोषण, उच्च नियोक्ता द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार एवं उनका शोषण किया जा रहा है। सामाजिक संरचना अव्यवस्थित रीति–रिवाज, परम्परा, रूढीवाद ये सब के कारण महिला एवं पुरूषों के बीच भेदभाव की लकीर खीचीं हुई है, समाज में महिलाओं की स्थिति में असमानता, शोषण अत्याचार एवं उत्पीडन की घटना होती जा रही है इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय संविधान में महिलाओं को अनेक अधिकार प्रदान किये गये है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन काल में महिलाओं को पुरूषों के समान बराबरी का दर्जा प्राप्त था। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेदिककाल में महिलाओं की शादी परिपक्व होने पर होती थी और अपना पति भी अपनी पसन्द से चुना करती थी। प्राचीन भारत में महिलाओं ने नगर वधु सम्मान के लिये प्रतियोगिता आयोजित होती थी, वैदिक काल में महिलाओं पुरूषों के समान बराबरी का दर्जा एवं अधिकार प्राप्त थे, बाद में मुगल काल एवं इस्लामिक आक्रमण के पश्चात महिंलाओं कि आजादी एवं अधिकारों को सीमित कर

*Corresponding Author: डॉ. विनिता गौतम

दीया गया भारत में महिलाओं को दासी एवं बंदीशो में रहने के लिए भी मजबूर होना पडा।
एशियाई देशो में भी जैसे भारत, के लोग पाकिस्तान में लडकियों का पैदा होना अभिशाप माना जाता था। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र मे भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था द्वितीय विश्व युध्द के पश्चात महिलाओं के स्थिति में सुधार लाने लाने कि कोशिश की गई महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के दिशा में पहल करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1946 संयुक्त राष्ट्र महिला हैसियत कि स्थापना की गई, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला मानावाधिकार की अवधारणा घोषणा पत्र की गई। महिला अधिकारो की उन्नति हेतु विश्व स्तर पर भी अनेक प्रयास किए गए है, जिसमें–

1. प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिकों, 1975
2. दूसरा विश्व महिला सम्मेलन को पेन हेगन, 1950
3. तीसरा विश्व महिला सम्मेलन नरौनी, 1985
4. चौथा विश्व महिला सम्मेलन, नीजिंग–1995

भारतीय संविधान में महिलाओं को प्राप्त अधिकार

भारतीय संविधान में महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्राप्त है इसके साथ उनके अधिकारों की रक्षा एवं उत्पीडन को रोकने के लिए विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई है। संविधान में अनेक अनुच्छेद है जो महिलाओं के अधिकार एवं संवैधानीक प्रावधान बनाए गए है।

अनुच्छेद–(14): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता एवं विधि के सामान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता, स्त्री एवं पुरूषों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव नही किया जाएगा।

अनुच्छेद–(15): भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नही किया जायेगा। इस अनुच्छेद के खण्ड–(3) में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद–(19): भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार महिलाओं को पुरूषों के समान स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। महिलाओं को किसी भी कार्य को करने संबंधित सही किया जा सकता है।

अनुच्छेद–(23–24): इस अनुच्छेद में महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण को उनके मान सम्मान के विरूध्द मानते हुए महिलाओं की खरीदी उनको वैश्वावृत्ति कराना को दण्डनिय अपराध मानते हुए 1956 में वीमेन एवं गहर्ष उक्ट भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण पर अंकुश लगाया का सके।

अनुच्छेद–(39): संविधान के इस अनुच्छेद में महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का अधिकार प्रदान किया गया है। जिससे अपने आप में मजबुत हो सके।

अनुच्छेद–(42): अनुच्छेद 42 महिलाओं को प्रस्तुति अवकाश देने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद–(42)(क): महिलाओं के मान सम्मान हेतु कुछ भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं की त्यग करे जो महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ हो।

अनुच्छेद–(243): पंचायत चुनाव मे 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला भागीदारी में बढोतरी हो सके।

अनुच्छेद–(325): के अनुसार निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं पुरूष दोनो को सामान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है कि देश में महिलाओं को पुरूष के सामान मताधिकार प्राप्त है।

महिलाओं को प्राप्त विधिक उपबंध

भारतीय न्याय संहिता 2024 की धारा 63 से 64 के अंतर्गत नाबालिक महिला से गैंगरेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा धारा–70(1) के अनुसार गैगरेप के आरोपी 20 साल की सजा जो एम्रकैद तक हो सकता है यदि महिला नाबालिक 18 वर्ष से कम उम्र की हो तो फासी की सजा दी जा सकती है धारा 70(2) के अनुसार।

धारा–77: भारतीय न्याय संहिता के अनुसार महिलाओं का पिदा करना ई–मेल या दुसरे संचार माध्यम से इन्टरनेट के माध्यम से नजर रखने पर तीन साल की सजा तथा जुर्माना का प्रावधान रखा गया है।

धारा–79: भारतीय न्याय संहिता के अनुसार यदि किसी महिला को शादी के 7 वर्ष के भीतर महिला की मौत जलने से या किसी शारीरीक चोट लगने से हो जाती है तो इसे दहेज मृत्यू माना जायेगा और महिलाओं के प्रति तथा उसके रिस्तेदारों को सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक तक की सजा हो सकती है।

ठसके साथ ही महिलाओं के अधिकार के लिए भारतीय संविधान में अनेक अधिनियम पारित किए गये है निम्न प्रकार हैः–

1. परिवार न्यायालय अधिनियम
2. विशेष विवाह अधिनियम
3. दहेज प्रतिबंध अधिनियम
4. प्रसूति प्रतिषेध अधिनियम
5. गर्भ का चिकित्सीय समाधान अधिनियम
6. कमीशन ऑफ सती (पृवेन्शन), एक्ट
7. घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम
8. बालविवाद प्रतिषेध अधिनियम

अधिनियम के अलावा महिलाओं की दृश्य सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक सराहनिय प्रयास किए गये है सन् 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना सन् 1942 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिलाओं के हित एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता जा रहा है।

जिससे सुकन्या योजना बालिका समृध्दि योजना, बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना, किशोरी शक्ति योजना, सरस्वती सायकल योजना, इंदिरा महिला योजना आदि।

निष्कर्ष

संविधान में महिलाओं के हित में अनेक नियम एवं प्रावधान बनाने के परिणाम फलस्वरुप महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार तो हुआ है, लेकिन पर्याप्त मात्राओं में नहीं हुआ है पूरे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध का विश्लेषण करने से पता चलता है कि अधिनियम मामलों में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाए जाते, क्योकि महिलाओं में साक्षरता कि कमी एवं पारिवारिक दबाव इसका कारण है, महिलाओं कि स्थिति में सुधार हेतु सरकारी एवं अनेक गैर सरकारी संगठन सहयोग कर प्रभावशाली भूमिका निभा सकते है।

आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के पद पर विराजमान हुई है, कला मनोरंजन के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे रही है, खेलकुद के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे रही है जिसमें पी.टी.उषा, सानिया मिर्झा आदि साहित्य के क्षेत्र में, कमला नेहरू, सरोजनी नायडु आदि का नाम प्रस्तुत है।

विश्व सुंदरी का खिताब ऐश्वर्या राय, सुस्मिता सेन भारतीय महिलाओं के नाम दर्ज है, आधुनिक भारत में महिलाओं के स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पारिवारिक एवं आर्थिक दशा मजबुत हुआ है।

संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान–जय मां रावण पाण्डे।
2. भारत का संविधान एक परिचय–डी.डी.वसु नई दिल्ली आठवा संस्करण 2002।
3. परीक्षा मंथन।
4. भारतीय न्याय संहिता–2024।
5. इन्टरनेट।